तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज स्थानान्तरण प्रा0पत्र मु0न0 12/2024 उनवानी श्रीमती मीरा गोतम बनाम अंगूरीदेवी वगैरा, न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18.02.2025	आज यह पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थितं। प्रार्थीया श्रीमती मीरा गोतम ने यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में विचाराधीन प्रकरण उनवानी मीरा गोतम बनाम अंगूरीदेवी वगैरा मु0न0 85/2023 को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीया ने यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को खुलेआम धमकी दी है कि उन्होने व उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी से उनकी सांट गांठ हो गई है और प्रार्थीया के पक्ष में जारी स्थगन आदेश को निरस्त करा देंगे और और वादी/प्रार्थीया के वाद पत्र को निरस्त कराकर अपने पक्ष में फैसला करवा लेंगे और विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को बिक्रय कर देगें। अप्रार्थीगण की इस धमकी के कारण एवं न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी के रवैया के कारण प्रार्थीया को नियुक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है इसलिये न्याय हित में उक्त प्रकरण के निस्तारण व सुनवाई हेतु अन्य दीगर सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की है। उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर की टिप्पणी प्राप्त की गई। उपखण्डाधिकारी धौलपुर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 28.10.2024 मे स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि यदि उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तिरत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हमने उपस्थित दोनों पक्षों के अभिभाषको को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं उपखण्डाधिकारी धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने उक्त प्रकरण को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तिरत किये जाने की अपनी सहमति जाहिर की। अतः प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में विचाराधीन प्रकरण उनवानी मीरा गोतम बनाम अंगूरीदेवी वगैरा मु0न0 85/2023 को न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ में स्थानान्तिरत किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेशिका की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर/सैपऊ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। (श्रीनिधि बी टी) जिला कलक्टर धौलपुर	

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)